

न्यायालय :- संतोष कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

दा0प्र0क0 - 103 / 10
संस्थित दि0 - 06.04.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चन्देरी,
जिला - अशोकनगर, म0प्र0

----- अभियोजन

विरुद्ध

1. सुमत पुत्र बाबूलाल लोधी, आयु-22 वर्ष,
2. पप्पू पुत्र बाबूलाल लोधी, आयु-28 वर्ष,
3. कलीबाई पत्नि बाबूलाल लोधी, आयु-45 वर्ष,
4. धरमबाई पत्नि सुमत लोधी, आयु-20 वर्ष,
निवासी-ग्राम सकवारा, थाना चन्देरी,
जिला - अशोकनगर म0प्र0

----- अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 17.12.2014 को घोषित)

1. अभियुक्तगण पर भा0दं0वि0 की धारा 323/34, 324/34 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है कि, आरोपीगण ने दिनांक 03.03.2010 को समय 10 बजे ग्राम सरवारा में विमलेश बाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया व उसके अग्रसरण में उसकी स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की व प्रार्थीगण रामकलीबाई, बेटीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया व उसके अग्रसरण में उनकी धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, आरोपीगण फरियादिया रामकली बाई से कहने लगे कि, तूने हमारे चना पटा लिये तब फरियादिया ने मना किया तो सुमत, पप्पू, कलीबाई व धरमबाई गालियां देने लगे। फरियादिया ने गालियां देने से मना किया तो सुमत ने लुहांगी मारी जो उसके पेट के टकने में लगी, चोट आई व फरियादिया की सास बेटी बाई ने बचाया तो पप्पू ने उसको

लुहांगी मारी जिससे सिर में चोट लगी। उसकी लडकी की भी मारपीट की तब फरियादिया द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना चन्देरी में की गई। थाना चन्देरी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लिये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया तथा अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. आरोपीगण पर भा0दं0वि0 की धारा 323/34, 324/34 का दंडनीय अपराध का आरोप लगाए जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया व विचारण चाहा। विचारण दौरान फरियादीगण द्वारा शमन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। धारा 323/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध शमनीय प्रकृति के होने से आरोपीगण को उक्त धारा में दोषमुक्त किया गया किंतु धारा 324/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध अशमनीय प्रकृति का हो जाने से उक्त धारा के अंतर्गत विचारण जारी रखा गया, फरियादीगण के कथन लिये गये। अभियोजन द्वारा आई हुई साक्ष्य तथा राजीनामा के तथ्य को देखते हुए न्यायालय के समय एवं शासन की धनराशि के अपव्यय रोकने के उद्देश्य से अभियोजन के द्वारा साक्ष्य समाप्त कर दी गई किन्तु प्रकरण में उपलब्ध साक्षियों की साक्ष्य से धारा 324/34 भा0दं0वि0 के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं आये है, अतः अभियुक्त कथन नहीं लिये गये।

4 प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न है कि—

क्या आरोपीगण ने दिनांक 03.03.2010 को समय 10 बजे ग्राम सरवारा में आहतगण रामकलीबाई, बेटीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया व उसके अग्रसरण में उनकी धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5 अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी रामकली (अ.सा.—1), विमलेश (अ.सा.—2), मुकेश (अ.सा.—3), निहाल (अ.सा.—4), भैरों (अ.सा.—5) के कथन लेखबद्ध कराये गये है।

6. साक्षी रामकली (अ.सा.—1) का कहना है कि, घटना लगभग 3—4 वर्ष पूर्व की है। घटना के समय आरोपीगण का हम लोगों से वाद—विवाद हो गया था। आरोपीगण गाली—गलोंच कर रहे थे, आरोपीगण को गाली—गलोंच देने से मना किया तो आरोपीगण

ने धक्का मुक्की की थी तब हम लोगों ने थाना चन्देरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 लेखबद्ध कराई थी पुलिस ने अदम चैक क्रमांक 150/10 काटा था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्देरी में कराया था। पुलिस ने उसकी निशादही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-2 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बेटी बाई उसकी सास लगती थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिसके संबंध में पंचनामा प्र0पी0-3 तैयार किया गया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत विमलेश उसकी पुत्री है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी के द्वारा इस बात से इन्कार किया है कि, आरोपी ने उसके साथ धारदार हथियार से मारपीट की थी व आरोपीगण ने उसकी लडकी कमलेश के साथ धारदार हथियार से मारपीट की थी।

7. इसी प्रकार साक्षी विमलेश (अ.सा.-2) का भी कहना है कि, घटना लगभग 3-4 वर्ष पूर्व की है। घटना के समय आरोपीगण का हम लोगों से वाद-विवाद हो गया था। आरोपीगण उसकी मां के साथ गाली-गलौंच कर रहे थे और उसकी मां के साथ धक्का-मुक्की कर रहे थे जब उसने बीच-बचाव किया तो उसके साथ भी धक्का-मुक्की करने लगे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा इस तथ्य से इन्कार किया गया कि, आरोपीगण ने उसके साथ धारदार हथियार से मारपीट की थी व आरोपीगण ने उसकी मां के साथ भी धारदार हथियार से मारपीट की थी।

8. इसी प्रकार साक्षी मुकेश (अ.सा.-3), निहाल (अ.सा.-4) का कहना है कि, उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी है। उक्त साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीगण के द्वारा इस तथ्य से इन्कार किया गया कि, आरोपीगण ने आहत रामकली, विमलेश बाई और बेटीबाई के साथ धारदार हथियार से मारपीट की थी। साक्षी भैरों (अ.सा.-5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि, उसकी मां बेटीबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके संबंध में गांव में पंचनामा प्र0पी0-3 तैयार किया गया था, वह अपनी मृत मां की ओर से आरोपीगण से राजीनामा करना चाहता है।

9. इस प्रकार न्यायालय द्वारा फरियादीगण के कथनों तथा राजीनामा के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के समय व शासन की धनराशि का अपव्यय रोकने के उद्देश्य से साक्ष्य समाप्त

कर दी है। अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं है कि, आरोपीगण द्वारा आहतगण रामकलीबाई, बेटीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया व उसके अग्रसरण में उनकी धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की

10. अतः आरोपीगण पर धारा 324/34 भा०दं०वि० का दंडनीय अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। फलतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त कर उन्हें स्वतंत्र किया जाता है। उनके जमानत एवं मुचलके उन्मुक्त किये जाते हैं। तत्संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

11. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया

संतोष कुमार कोल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर

संतोष कुमार कोल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर